20

सं0सं0–03/विविध–01–43/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/आई0जी0आई0सी0, पटना।

पटना, दिनांकः

विषयः– **राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला चिकित्सकों/कर्मियों, द्वारा शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave-CCL) की सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अवकाश पर जाने के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम–220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–640, दिनांक–19.01.2015 द्वारा विभिन्न शर्तो के अधीन राज्य सरकार के अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन–पोषण या देखभाल के लिए दो वर्ष (यानि 730 दिन) की शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प के कंडिका–3 में स्पष्ट उल्लेख है कि ***"शिशु–देखभाल–छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा"***।

02. विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि, महिला चिकित्सकों/कर्मियों एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका–3 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। महिला चिकित्सकों/कर्मियों द्वारा शिशु देखभाल अवकाश हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना मात्र आवेदन उपलब्ध कराते हुए अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित होकर CCL का उपभोग किया जा रहा है। साथ ही इनके नियंत्री पदाधिकारी भी मात्र उनके आवेदन को विभाग में अग्रसारित करते हुए संबंधित चिकित्सक/कर्मी को CCL उपभोग करने हेतु विरमित कर रहें है।

950(3)
2/11/26

कृ0प0उ0.....

03. विदित हो कि, अवकाश किसी भी सरकारी सेवक का अधिकार तभी होता है, जब वह प्रचलित सेवा नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्वीकृत हो। अतः सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना CCL पर जाना नियम संगत नहीं है तथा ऐसी अनुपस्थिति को स्वीकृत अवकाश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

04. वर्णित स्थिति एवं संकल्प के कंडिका–3 के आलोक में समीक्षोपरांत यह निदेशित है कि महिला चिकित्सक/कर्मी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में CCL पर प्रस्थान न करें। साथ ही संबंधित नियंत्री पदाधिकारी बिना अवकाश स्वीकृति के उन्हें अवकाश हेतु विरमित न करें। इसके अतिरिक्त CCL स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शिशु देख–भाल अवकाश आदेयता सहित कम–से–कम एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग/सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

05. अतः सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भविष्य में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना CCL पर जाने की सूचना संज्ञान मे आने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सबंधित चिकित्सक एवं नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

उक्त आदेश/निदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः 03/विविध–01–43/2025 950(3) स्वा0, पटना, दिनांक 2/11/26

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/सभी उपाधीक्षक. अनुमण्डलीय अस्पताल/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी